

समाहरणालय, मधेपुरा  
(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक...../सा0सु0को0.

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,  
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला।  
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा,  
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज।

विषय:-

मधेपुरा, दिनांक...../  
चालू वित्तीय वर्ष-2013-14 में राज्य योजनान्तर्गत लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में  
( विशेष घटक ) के पेंशनधारियों को नगद भुगतान हेतु द्वितीय किस्त कुल  
रु0-19,50,000=00 (उनीस लाख पचास हजार) रुपये मात्र का उपावंटन।

प्रसंग:-

निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार-पटना के पत्र सं0-01/सा0सु0 बजट-लक्ष्मीबाई सा0सु0 पेंशन-08/2013-  
सा0को0-..... पटना, दिनांक-01/07/2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.98 एवं 7729  
दिनांक-26.07.2012 में उल्लेखित निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यदेश सं0-1002 दिनांक-14.05.2013 के आलोक  
में विशेष घटक पेंशनधारियों को पेंशन नगद भुगतान हेतु द्वितीय किस्त संलग्न विवरणी के स्तम्भ-5 के अनुसार कुल रु0  
19,50,000=00 ( उनीस लाख पचास हजार ) रुपये मात्र का उपावटित किया जाता है।

- 2- उपावटित राशि माँग सं0-51, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा  
तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप-शीर्ष-0102-लक्ष्मीबाई  
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-वैतनादि के अलावा, विपत्र कोड  
संख्या-P-2235607890102 तथा स्कीम कोड-WEL-5504 से विकलनीय होगा।
- 3- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे उपावटित राशि कोषागार से निकासी कर शिपिर के माध्यम से  
पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- 4- जिस मद में राशि उपावटित की गई है उसे उसी मद में व्यय किया जायगा।
- 5- उपावटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा को निश्चित रूप से उपलब्ध  
करायी जाय।
- 6- उपावटित राशि का विवरणी संलग्न है।  
उपर्युक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

हो—

जिला पदाधिकारी,  
मधेपुरा।

ज्ञापक 3/02/सा0सु0को0, मधेपुरा, दिनांक 15-07-2013

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।


प्रतिलिपि:- निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी,  
मधेपुरा।

वित्तीय वर्ष-2013-14 में लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (विशेष घटक) के तहत पेंशन भुगतान हेतु सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा (31 06) मद में प्रखण्डवार/निकायवार द्वितीय उपावंटन तालिका:-

क्र०	प्रखण्ड/नगर निकाय का नाम	पेंशनधारियों की संख्या	पूर्व उपावंटित राशि	वर्तमान में उपावंटित राशि	कुल उपावंटित राशि
1	2	3	4	5	6
1	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा	737	239100	442200	681300
2	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर	228	68400	136800	205200
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया	111	33300	66600	99900
4	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धैलाढ़	76	22800	45600	68400
5	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर	118	35400	70800	106200
6	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुमारखण्ड	100	30000	69000	99000
7	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज	149	44700	89400	134100
8	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	195	153300	606600	759900
9	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा	152	91200	91200	182400
10	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज	98	58800	58800	117600
11	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आलमनगर	113	67800	67800	135600
12	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौसा	145	87000	87000	174000
13	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुरैनी	162	97200	97200	194400
14	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा	20	12000	12000	24000
15	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज	15	9000	9000	18000
	कुल योग :-	2419	1050000	1950000	3000000

मो० (उनीस लाख पचास हजार) रुपये मात्र।

  
जिला पदाधिकारी,  
मधेपुरा।